



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 पौष 1946 (श10)

(सं० पटना 66) पटना, बृहस्पतिवार, 16 जनवरी 2025

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 जनवरी 2025

अधिसूचना संख्या 03/2025-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 52 दिनांक 16 जनवरी 2025—बिहार माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या -39/2017 राज्य-कर (दर) दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक 980 दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम 3 में, शब्द और प्रतीक, “(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)” के पश्चात शब्द और प्रतीक, “(ग) उपरोक्त (क) के लिए खाद्य इनपुट” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-20))03]]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

16 जनवरी 2025

[एस० ओ० 52 दिनांक 16 जनवरी 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-20)) 03]]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 16th January 2025

Notification No. 03/2025- State Tax (Rate)

S.O. 52 Date 16 January 2025- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification no. 39/2017-State Tax (Rate), dated 18.10.2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide no. 980, dated 18.10.2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, in column 3, after the end of words and symbols“(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government”, the words and symbols, “(c) food inputs for (a) above.” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-20) 03)]

By the order of Governor of Bihar,

Sanjay Kumar Singh,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 66-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>